अनुदान संख्या 102 - युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
GRANT No. 102 - MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	3435,85,00		3435,86,00	2830,81,59	-605,04,41
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					605,04,61
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-			6,47,00	2,23,62	-4,23,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					4,23,37

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (₹60504.61 लाख) ₹60504.41 लाख की कुल बचतों से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (₹60504.61 lakhs) exceeded the overall savings of ₹60504.41 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष “2251”	Major Head “2251”				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएँ	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	4173.00	4095.15	4095.12	-0.03
पु.	R.	-77.85			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2204" खेल और युवा सेवाएं	Major Head "2204" Sports and Youth Services				
मू.	O.	306287.00			
पू.	S.	1.00	278986.24	278986.47	+0.23
पु.	R.	-27301.76			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	33125.00			
			..	..	..
पु.	R.	-33125.00			

(I) ₹36201.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2024 में प्राप्त ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹36199.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गएः–

(I) Provision of ₹36201.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2024) remained wholly unutilized under thirteen heads; of these ₹36199.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – खेल विभाग" के अंतर्गत ₹2274.00 लाख युवा मामले और खेल विभाग के बीच स्थापना व्यय के विभाजन के कारण नव निर्मित शीर्ष में निधियों का अंतरण किए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Sports" - ₹2274.00 lakhs - due to transfer of funds to newly created head owing to bifurcation of establishment expenditure between Department of Youth Affairs and Sports.

(खा) मुख्य शीर्ष "2204" – "खेल और खेलकूद – जम्मू और कश्मीर में खेल सुविधा का संवर्धन" – ₹800.00 लाख पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(B) Major Head "2204" - "Sports and Games - Enhancement of Sports Facility at J&K" - ₹800.00 lakhs - due to availability of unspent balance of previous year.

(गा) मुख्य शीर्ष "2552" –

(C) Major Head "2552" -

(क) "खेल और युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – राष्ट्रीय सेवा योजना" –

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Students - National Service

₹1300.00 लाख;

(ख) "खेल और युवा सेवाएं – गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम" – ₹1105.00 लाख;

(ग) "खेल और युवा सेवाएं – खेल और खेलकूद" –

(i) "राष्ट्रीय खेल महासंघों को सहायता" – ₹3400.00 लाख;

(ii) "भारतीय खेल प्राधिकरण" – ₹7000.00 लाख;

(iii) "लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान"– ₹1000.00 लाख;

(iv) "खेलो इंडिया" – ₹6850.00 लाख;

(v) "राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय" – ₹9120.00 लाख;

(घ) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना" – ₹750.00 लाख; और

(ड.) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुदान" – ₹2600.00 लाख।

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग हेतु आंशिक निधियों / निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2204" के अंतर्गत बचत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:–

Scheme" - ₹1300.00 lakhs;

(b) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Non-Students - Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram" - ₹1105.00 lakhs;

(c) "Sports and Youth Services - Sports and Games" -

(i) "Assistance to National Sports Federations" - ₹3400.00 lakhs;

(ii) "Sports Authority of India"- ₹7000.00 lakhs;

(iii) "Laxmibai National Institute of Physical Education" - ₹1000.00 lakhs;

(iv) "Khelo India" - ₹6850.00 lakhs;

(v) "National Sports University" - ₹9120.00 lakhs;

(d) "Special Component Plan for Scheduled Castes - Scheme for the Development of Scheduled Castes" - ₹750.00 lakhs; and

(e) "Tribal Area Sub-Plan - Welfare of Scheduled Tribes - Grants under provision to Article 275(1) of the Constitution" - ₹2600.00 lakhs.

Provisions under the above nine heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization of schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2204" - savings occurred under the following heads:-

(का) "शारीरिक शिक्षा – लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर" – ₹2211.25 लाख की बचत (₹6851.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान द्वारा वित्त समिति और प्रबंधन बोर्ड की बैठकों में विलंब किए जाने की वजह से स्वीकृत पदों का मूर्त रूप न लेने और कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण हुई।

(A) "Physical Education - Laxmibai National Institute of Physical Education, Gwalior" - saving of ₹2211.25 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6851.00 lakhs) was due to non-materialization of the sanctioned post due to delay in Finance Committee and Board of Management meetings by the Institute and receipt of less proposals.

(खा) "छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम – एनएसएस के कार्यान्वयन के लिए अनुदान" – ₹769.80 लाख की बचत (₹12807.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टीएसए मॉडल से निधियां जारी करने के लिए छूट की मांग करने में देरी होने के कारण हुई।

(B) "Youth Welfare Programmes for Students - Grants for Implementation of NSS" - saving of ₹769.80 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12807.00 lakhs) was due to delay in seeking exemption for release of fund from TSA Model.

(गा) "गैर–छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" –

(क) "नेहरू युवा केन्द्र संगठन" – ₹8604.73 लाख की बचत (₹42600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आउटसोर्स से कम कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (अम्ब्रेला स्कीम)" – ₹3038.79 लाख की बचत (₹8162.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विकसित भारत चैलेंज के लिए प्रस्तावों की प्राप्ति न होने, विदेश मंत्रालय से बिलों की प्राप्ति न होने और राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों की तैनाती, बर्खास्तगी और सेवानिवृत्ति में कमी आने के कारण हुई।

(ग) "मेरा युवा भारत (मेरा भारत)" – ₹18436.35 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टीएसए में परिचालन संबंधी कठिनाइयों की वजह से कम निधियां जारी किए जाने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(C) "Youth Welfare Programmes for Non-Students" -

(a) "Nehru Yuva Kendra Sangathan" - saving of ₹8604.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42600.00 lakhs) was due to hiring of less outsourced employees.

(b) "Rashtriya Yuva Sashaktrikaran Karyakaram (Umbrella Scheme)" - saving of ₹3038.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8162.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for Viksit Bharat Challenge, non-receipt of bills from Ministry of External Affairs and shortfall in deployment, termination and retirement of National Youth Volunteers.

(c) "Mera Yuva Bharat (My Bharat)" - saving of ₹18436.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to less release of funds owing to operational difficulties in TSA and non-filling up of vacant posts.

(घा) "खेल और खेलकूद" –

(क) "खेलो इंडिया" – ₹14869.74 लाख की बचत

(D) "Sports and Games" -

(a) "Khelo India" - saving of ₹14869.74 lakhs

(₹60400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का कम उपयोग किए जाने के कारण हुई।

(ख) "राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला" – ₹530.00 लाख की बचत (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरने और उपकरणों की खरीद न किए जाने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय खेल महासंघ को सहायता" – ₹2673.91 लाख की बचत (₹21800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महासंघ से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा प्रशासनिक विलंब के कारण महासंघ को कम निधियां वितरित किए जाने के कारण हुई।

(ड.) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना" –

(क) "खेल एवं युवा सेवाएं – छात्रों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम" – ₹1377.98 लाख की बचत (₹4000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) टीएसए मॉडल से निधियां जारी करने के लिए छूट प्राप्त करने में देरी के कारण हुई।

(ख) "खेल और युवा सेवाएं – खेल और खेलकूद" – ₹5618.69 लाख की बचत (₹20100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक देरी और टीएसए मॉडल से निधि जारी करने के लिए छूट मांगने में विलंब होने की वजह से महासंघ को कम निधियों का वितरण किए जाने के कारण हुई।

(ग) "राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (अम्ब्रेला योजना)" – ₹1143.81 लाख की बचत (₹1950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(चा) "जनजातीय क्षेत्र उप–योजना" –

(against the sanctioned provision of ₹60400.00 lakhs) was due to less utilization of funds by the implementing agencies.

(b) "National Dope test Laboratory" - saving of ₹530.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and non-procurement of equipments.

(c) "Assistance to National Sports Federation" - saving of ₹2673.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21800.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from Federation and less disbursement of fund to the federation owing to administrative delays.

(E) "Special Component Plan for Scheduled Castes" -

(a) "Sports and Youth Services - Youth Welfare Programme for Students" - saving of ₹1377.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4000.00 lakhs) was due to delay in seeking exemption for release of fund from TSA Model.

(b) "Sports and Youth Services - Sports and Games" - saving of ₹5618.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20100.00 lakhs) was due to less disbursement of funds to the federation owing to administrative delays and delay in seeking exemption for release of fund from TSA Model.

(c) "Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram (Umbrella Scheme)" - saving of ₹1143.81 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1950.00 lakhs); and

(F) "Tribal Area Sub-Plan" -

(क) "राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम (अम्ब्रेला योजना)" – ₹589.43 लाख की बचत (₹978.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों की तैनाती, बर्खास्तगी और सेवानिवृत में कमी और राष्ट्रीय युवा संसद त्योहार के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(ख) "खेल एवं युवा सेवाएं – खेल और खेलकूद" – ₹757.60 लाख की बचत (₹9300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशासनिक देरी और टीएसए मॉडल से निधि जारी करने के लिए छूट प्राप्त करने में देरी के कारण महासंघ को कम निधियां वितरित किए जाने के कारण हुई।

(III) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹1724.39 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक परंतु ₹500.00 लाख से अधिक नहीं थी तथा स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 42 प्रतिशत तक थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(का) मुख्य शीर्ष "2251" – "सचिवालय – युवा मामले विभाग" – ₹2196.12 लाख का अधिक व्यय (₹1899.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) युवा मामले और खेल विभाग के बीच स्थापना व्यय के विभाजन की वजह से नव निर्मित शीर्ष में निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2204" – "खेल और खेलकूद" –

(क) "भारतीय खेल प्राधिकरण" – ₹7090.00 लाख का अधिक व्यय (₹75260.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अवसंरचना परियोजनाओं के भुगतान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित

(a) "Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakaram (Umbrella Scheme)" - saving of ₹589.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹978.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to shortfall in deployment, termination & retirement of National Youth Volunteers (NYVs) and requirement of less funds towards National Youth Parliament festival.

(b) "Sports & Youth Services - Sports and Games" - saving of ₹757.60 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9300.00 lakhs) was due to less disbursement of funds to the federation owing to administrative delays and delay in seeking exemption for release of fund from TSA Model.

(III) Under five heads savings of ₹1724.39 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 42 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head "2251" - "Secretariat - Department of Youth Affairs" - excess of ₹2196.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1899.00 lakhs) was due to transfer of funds to newly created head owing to bifurcation of establishment expenditure between Department of Youth Affairs and Sports.

(B) Major Head "2204" - "Sports and Games" -

(a) "Sports Authority of India" - excess of ₹7090.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹75260.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards payment of infrastructural projects and

योजना के उपयोग हेतु निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय" – ₹28536.07 लाख का अधिक व्यय (₹70.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित योजनाओं पर उपयोग निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों में किए जाने और विश्वविद्यालय परिसर की निर्माण गतिविधियों के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, ₹312.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization of the scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(b) "National Sport University" - excess of ₹28536.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹70.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Heads "2552" to functional heads for utilization of the scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and construction activities of University Campus.

3. In the capital section of the grant, provision of ₹312.00 lakhs remained wholly unutilized under three heads.